राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

परिपत्र

क्रमांक :– प.5 (294) /निपेवि/नियम/2017/05-75H दिनांक : 02/01/2018

विषयः– दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत/मृत राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन बाबत्।

संदर्भः– वित्त (नियम) विभाग, जयपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ. 12 (6)/एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, दिनांक 05.12.2017 एवं समसंख्यक मेमोरेन्डम दिनांक 09.12.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्रांक 1511–80–एच दिनांक 08.11.2017 एवं 1991–2065–एच दिनांक 07.12.2017 की निरन्तरता में वित्त (नियम) विभाग ने अपने मेमोरेन्डम क्रमांक एफ. 12 (6)/एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा रा.सि.से. (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन किये हैं, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

1. वित्त (नियम) विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 में राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन में सॉतवे वेतन आयोग के अनुसार संशोधन का लाभ दिनांक 01.10.2017 से दिया गया था, जिसे संशोधित कर मेमोरेन्डम दिनांक 09.12.2017 द्वारा **पेंशन संशोधन का लाभ 01.01.2016** से दिया गया है।
2. दिनांक 01.01.2016 से 30.09.2017 के मध्य सेवानिवृत/मृत कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का संशोधन सम्बन्धित विभाग से वेतन निर्धारण के पश्चात् प्राप्त होने पर पेंशन विभाग के स्तर से जारी पेंशन परिलाभों की संशोधित अधिकृति के आधार पर किया जायेगा। बैंक अपने स्तर से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि पेंशनर को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान छठे वेतन आयोग के अनुसार किया जा रहा है अर्थात् पेंशनर को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर 31.12.2015 को देय महंगाई राहत 119 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जा रहा है।
3. दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि का पेंशन एरियर देय नहीं किया गया है।
4. दिनांक 01.01.2017 से 30.09.2017 तक के एरियर का भुगतान 3 किश्तो में 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में अगले वर्ष क्रमशः दिनांक 01.04.2018, 01.07.2018 एवं 01.10.2018 को किया जायेगा लेकिन किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु के मामले में पेंशन एरियर की पूरी राशि का भुगतान नकद में किया जावेगा।
5. न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन रूपये 8850/– प्रति माह की गई है एवं दिनांक 01.01.2017 से इसे देय किया गया है तथा 01.01.2017 से 30.09.2017 तक के एरियर का भुगतान तीन किश्तों में बिन्दु संख्या 4 में वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना हैं।

अतः आप से अनुरोध है कि इस विभाग के पत्रांक 1511–80–एच दिनांक 08.11.2017 एवं 1991–2065–एच दिनांक 07.12.2017 के साथ–साथ वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेन्डम दिनांक 09.12.2017 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर समुचित कार्यवाही सम्पादित करें।

संलग्न :– वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना एवं
मेमोरेन्डम दिनांक 09.12.2017

भवदीय,
(परमेश्वरी चौधरी)
निदेशक